



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।


(I.S.O. 9001:2015 एवं S.O. 14001:2015 प्रमाणित संस्था)

पत्र संख्या : 623 / 2 / 2020

दिनांक: 05/5/2020

आदेश

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं०-40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 01.05.2020 में कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लॉकडाउन दिनांक 04.05.2020 से दो सप्ताह तक प्रभावी रहने हेतु दिशा निर्देश दिये गये हैं, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के गृह (गोपन अनुभाग-3) से निर्गत आदेश सं०-381/2020/सीएक्स-3 दिनांक 03.05.2020 के द्वारा शहरी क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन के बाहर निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गयी है। तत्क्रम में जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा निर्गत आदेश सं०-3395/एस0टी0-डी0एम0/2020 दिनांक 04.05.2020 के क्रम में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र में निर्माण सम्बन्धी गतिविधियां कतिपय शर्तों के साथ अनुमत्य की गयी हैं, जिसकी SOP प्राधिकरण वेबसाइट पर लिंक <http://gdaghaziabad.in/wp-content/uploads/2020/05/SOP.pdf> के रूप में उपलब्ध है। उक्त SOP का अध्ययन कर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्राधिकरण की E-Mail I.D.-secgda@gmail.com पर अपलोड किया जा सकता है।


(कंचन वर्मा)
उपाध्यक्ष